प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2023**
   प्र.इ.रि.सं. 135/2023 दिनांक 31/5/2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें. 7, 7ए
   (2) अधिनियम ....–............भा.द.स.........–................धारायें............. 120 बी........................
   (3) अधिनियम ....–................................धारायें..........................–.....................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये..–...

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....605.......समय.............6:00 PM...........
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 30.05.2023 समय – 1.46 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 16.05.2023 समय 4.30 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– टाईपशुदा

5. घटनास्थल :– ग्रम पंचायत जसोल जिला बाडमेर
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा **पश्चिम, करीब 120 कि0मी0**
   (ब) पता :– ग्रम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला जोधपुर ।
   ....बीट सख्या.................–...................जरायमदेही सं...–......
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....–..............................जिला..............–...........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री आसुराम
   (ब) पिता का नाम : श्री भीखाराम
   (स) जन्म तिथि : 36 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
   (य) पासपोर्ट सख्या....................–..जारी होने की तिथि ...–...........
   जारी होने की जगह ....–...
   (र) व्यवसाय :– मजदुरी
   (ल) पता :– निवासी –नयापुरा जसोल तहसील पचपदरा पुलिस थाना जसोल जिला बाडमेर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मखनलाल जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रा नगर पुलिस थाना कोतवाली झुंझनु हाल 3/131 हांउसिंग बोर्ड बालोतरा जिला बाडमेर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर
   2. श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम जाति प्रजापत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15 नयापुरा जसोल बाडमेर हाल सहायक सचिव (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
   ....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
   ....

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण

विषय :– रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो गिरफ्तार करवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मैं आसूराम पुत्र श्री भीखाराम जाति प्रजापत उम्र 30 वर्ष निवासी नयापुरा जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर का रहने वाला हुं। अभी हमारे गांव में मेरी माताजी श्रीमति नेनु देवी पत्नी श्री भीखाराम के नाम से खरीद शुदा व कब्जा शुदा रहवासिय भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड मेरी माताजी ने मौखिक तोर से बंटवारा कर दोनो भाईयों को आधा–आधा दिया है। जिसका अभी राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को पट्टा देने की योजना चलाई जा रही है। उक्त योजना के तहत मैं ग्राम पंचायत जसोल में ग्राम सेवक श्री सुशिलकुमार व सहायक ग्राम सेवक श्री उदाराम से मिला तो इन दोनो ने मेरे से 8,000/–प्रति पट्टे की मांग की है। मेरे द्वारा यह कहने पर कि 8000/–रू. किस बात के ले रहे हो तो सुशिल कुमार ने कहा कि उपर बीडीओ साहब व प्रधान साहब बालोतरा को भी देने पडते है। मैं मेरे जायज काम के लिए उनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। मेरी इन दोनो से कोई दुश्मनी नही है और न ही किसी प्रकार का कोई लेन देन बकाया नही है। कानुनी कार्यवाही करावे।

प्रार्थी
– एसडी –
दिनांक 16.05.2023
श्री आसूराम पुत्र श्री भीखाराम
जाति प्रजापत नि0 नयापुरा जसोल
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
मोबाईल नम्बर 9571672276

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 16.05.2023 को वक्त 4.30 पी.एम. पर परिवादी श्री आसूराम पुत्र श्री भीखाराम जाति प्रजापत उम्र 36 वर्ष नि0 नयापुरा जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ने एक टाईप शुदा लिखित रिपोर्ट पेश श्री अमराराम निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त रिपोर्ट पेश की व निरीक्षक पुलिस द्वारा दरियाफ्त पूछताछ पर परिवादी ने टाईप सुदा रिपोर्ट मे लिखे तथ्य सही होना बताया। रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया व साथ ही यह भी बताया कि मेरी इन दोनो से कोई दुश्मनी नही है और न ही किसी प्रकार का कोई लेन देन बकाया नही है। मेरी माताजी के नाम से खरीद शुदा व कब्जा शुदा रहवासिय भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड का आधा–आधा बंटवारा मेरे व मेरे भाईयों को किया हुआ है। हाल ही मे राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को पट्टा देने की योजना चलाई जा रही है। उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में श्री सुशीलकुमार ग्राम सेवक व सहायक ग्राम सेवक श्री उदाराम 8,000/–प्रति पट्टे की मांग कर रहा है। मेरे द्वारा यह कहने पर कि 8000/–रू. किस बात के ले रहे हो तो सुशीलकुमार ने कहा कि उपर बीडीओ साहब व प्रधान साहब बालोतरा को भी देने पडते है। मैं मेरे जायज काम के लिए उनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। कानुनी कार्यवाही करावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया

ग्राम सेवक एवं श्री उदाराम सहायक ग्राम सेवक नही मिलेंगे कल सुबह दिनांक 17.05.2023 को मिलेगे। जिस पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसुराम को हिदायत दी गई कि आप कल दिनांक 17.05.2023 को जसोल पर उपस्थित रहना आपसे श्री भीमसिंह कानि. मोबाईल पर सम्पर्क कर आपके पास आयेगा। ताबाद परिवादी गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 5.30 पीएम पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि. श्री भीमसिंह को हिदायत दी गई कि आप कल दि0 17.05.2023 को सुबह 5.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आवे तथा मन् निरीक्षक पुलिस से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी श्री आसूराम से मोबाईल पर सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार कार्यालय पहुंच कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु परिवादी के बताये अनुसार स्थान पर पहुंचने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई।

दिनांक 17.05.2023 को वक्त 6.00 एएम पर श्री भीमसिंह कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को बताया कि वक्त 5.53 एएम पर मेरी परिवादी श्री आसूराम से जरिये मोबाईल वार्ता हो गई है। परिवादी ने मेरे को बताया कि मैं जसोल ही हुं एवं मेरे को जसोल आने हेतु कहा हैं। जिस पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर तथा उसके अन्दर मैमोरी कार्ड सहित श्री भीमसिंह कानि. 446 को सुपर्द कर परिवादी श्री आसूराम से सम्पर्क कर परिवादी श्री आसूराम व आरोपीगण श्री सुशील कुमार ग्राम सेवक व श्री उदाराम सहायक ग्राम सेवक के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कानि. श्री भीमसिंह को हिदायत कर जसोल की तरफ रवाना किया। वक्त 02.05 पी.एम .पर श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 ने श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही मेरे द्वारा की गई तो परिवादी ने मेरे को बताया है कि श्री उदाराम सहायक ग्राम सेवक ने मेरे मकान के पट्टे से सम्बन्धित रिश्वती राशि मांग से सम्बन्धित वार्ता हो गई है। जिस पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस ने श्री भीमसिंह को हिदायत दी कि संदिग्ध श्री सुशीलकुमार ग्राम सेवक से भी परिवादी की रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता करवाने का प्रयास करे। वक्त 06.05.पीएम परश्री भीमसिंह कानि. नं. 446 ने श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि श्री सुशीलकुमार ग्राम सेवक से भी परिवादी के मकान का पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में रिश्वती राशि मांग से सम्बन्धि वार्ता हो गई है। जिस पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से भी भीमसिंह के मोबाईल से ही वार्ता कर आरोपियों को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की जब भी कल या परसो व्यवस्था हो जाने पर कार्यालय में उपस्थित आने तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई एवं कानि. श्री भीमसिंह को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर परिवादी को वही छोडकर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी गई। वक्त 10.40 पीएम पर श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि "मैं श्रीमान के निर्देशानुसार आज सुबह कार्यालय से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डर कर लाने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के रोडवेज बस से रवाना होकर बालोतरा पहुंचा तथा वक्त 9.22 एएम पर परिवादी श्री आसूराम से उसके मोबाईल नं. 9571672276 पर मेरे मोबाईल से फोन कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आप बालोतरा ही रूको मैं आपके पास वक्त 11.00 एएम तक आ जाउंगा। जिस पर मैं बालोतरा में ही परिवादी के आने के इन्तजार में रूका रहा। वक्त 11.25 एएम पर परिवादी श्री आसुराम ने अपने मोबाईल नं. 9571672276 से मेरे मोबाईल पर फोन कर बताया कि अभी दोनो ही ग्राम सेवक एवं सहायक ग्राम सेवक मीटिंग में है वह करीब 1.30 पी.एम तक फ्री होंगे आप वहां पर ही ठहरो, जिस पर मैं बालोतरा में ही परिवादी के आने के इन्तजार में रूका रहा। वक्त 1.00 पीएम पर परिवादी श्री आसुराम ने मेरे को अपने मोबाईल नं. 9571672276 से मेरे मोबाईल फोन पर फोन कर बताया कि श्री उदाराम सहायक ग्राम सेवक जसोल पंचायत कार्यालय जसोल पर आ गये है आप जसोल जाओ मैं आपको जसोल बस स्टेण्ड पर मिल जाउंगा तथा पंचायत भवन पास मे ही है जिस पर मैं बालोतरा से रवाना होकर जसोल बस स्टेण्ड पहुंचा तो परिवादी श्री आसूराम उपस्थित मिला परिवादी ने मेरे को बताया कि श्री उदाराम सहायक ग्राम सेवक अभी पंचायत भवन में ही है जिस पर मैने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग

हुं। वक्त करीब 5.30 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाईल नं. 9571672276 से मेरे मोबाईल पर फोन कर बताया कि मैंने मेरे स्तर पर पता किया है , श्री सुशील कुमार ग्राम सेवक जी अभी पंचायत भवन जसोल पर आ गये है। जिस पर मैने परिवादी को मेरे पास बुलाया। परिवादी के आने पर मैने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी श्री आसुराम को पंचायत भवन जसोल की तरफ रवाना किया तथा मैं वही पर ही परिवादी के आने के इन्तजार में खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया जिस पर मैने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दौरान परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी व श्री सुशील कुमार जी ग्राम सेवक से मेरे मकान के पट्टे से सम्बन्धित वार्ता हुई तथा ग्राम सेवक जी ने भी मेरे से रिश्वत राशि श्री उदाराम सहायक ग्राम सेवक द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि के अनुसार ही मांग की है। जिस पर मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर वहां जसोल ही छोडा जाकर रवाना हो कार्यालय पर उपस्थित आया हुं। तत्पश्चात श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री आसुराम एवं संदिग्ध श्री सुशीलकुमार ग्राम सेवक एवं श्री उदाराम सहायक ग्राम सेवक के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताओ को बारी–बारी से सुना गया तो दोनो आरोपीगणो द्वारा परिवादी से उसके मकान का पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टि हुई है।

दिनांक 20.05.2023 वक्त 06.00 पी.एम पर श्री अमरा राम खोखर नि.पु. अन्य गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में व्यस्त होने के कारण उक्त ट्रेप कार्यवाही आईन्दा दिनांक 24.05.2023 के पश्चात करने का निर्णय लिया गया। वक्त 04.00 पी.एम पर श्री अमरा राम खोखर निरीक्षक पुलिस का श्रीमान पुलिस अधीक्षक, प्रशासन, भ्रनिब्यूरो राजस्थान,जयपुर के आदेश कमांक 1428 दिनांक 12.05.2023 द्वारा उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने से निरीक्षक पुलिस को उपार्जित अवकाश पर दिनांक 22.05.2023 से रवानगी होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतू श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के निर्देशानुसार मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री आसू राम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अब तक की गई कार्यवाही के समस्त हालात से अवगत करवाकर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री आसू राम तथा आरोपी श्री सुशील कुमार एवं सह आरोपी श्री उदा राम के मध्य हुई दिनांक 17.05.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है उक्त डिजिटल वायस रिकॉर्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज सुरिक्षत हालात में सम्भलाये गये तथा मन् नि.पु. को निर्देशित किया कि आईन्दा परिवादी श्री आसू राम से सम्पर्क कर परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावे। वक्त 4.30 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अमरा राम खोखर निरीक्षक पुलिस से परिवादी श्री आसू राम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अब तक की गई कार्यवाही से सम्बन्धित रिकार्ड एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री आसू राम तथा आरोपी श्री सुशील कुमार एवं सह आरोपी श्री उदा राम के मध्य हुई दिनांक 17.05.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है उक्त डिजिटल वायस रिकॉर्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज सुरिक्षत हालात में प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा आईन्दा परिवादी श्री आसू राम से सम्पर्क कर परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 25.05.2023 को वक्त 3.51 पी.एम पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसू राम को उसके मोबाईल पर सर्म्पक किया गया तो परिवादी ने बताया कि श्री सुशील कुमार ग्राम सेवक एवं श्री उदाराम सहायक ग्राम सेवक अपने कार्यालय में ही उपस्थित है तथा कल मेरे से मेरे कार्य करने की एवज में रिश्वति राशि प्राप्त कर सकते है जिस पर परिवादी श्री आसुराम को निर्देशित किया गया कि रिश्वति राशि की व्यवस्था कर कल सुबह 7.30 एएम पर कार्यालय उपस्थित आवे। वक्त 4.00 पी.एम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जोधपुर के नाम तेहरीर जारी कर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को सुपर्द कर स्वतन्त्र गवाहान लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 5.20 पी.एम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान लाने हेतु गया हुआ श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं श्रीमान संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जोधपुर का पत्र कमांक 3959–61 दिनांक 25.05.2023 प्रस्तुत किया। उक्त पत्र का अवलोकन कने पर पाया गया कि संयुक्त निदेशक

साल जाति ब्रहाम्ण निवासी गांव बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर हाल पशुधन सहायक, पशु चिकित्सालय मोगडा कला, जोधपुर मोबाईल नम्बर 9829822860 एवं श्री गोलाराम विश्नोई पुत्र श्री जैताराम विश्नोई उम्र 57 साल जाति विश्नोई निवासी खेजडली कला बाबलो की ढाणी तहसील व जिला जोधपुर हाल पशुधन सहायक, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 8094433535 के रूप में दिया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। वक्त 7.36 ए.एम. तक पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री आसुराम में उपस्थित नही आने पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसू राम को उसके मोबाईल नम्बर 9571672276 पर कॉल कर सर्म्पक किया गया तो परिवादी ने बताया कि मुझे ब्यूरो कार्यालय पहुँचने में असर्मथ हुं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि आप आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8,000/–रू. की व्यवस्था कर बालोतरा के आस पास मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार उपस्थित मिले। वक्त 9.15 ए.एम. पर मन् श्रीमति अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री गोलाराम विश्नोई, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 110 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली तथा श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को फिनोथफ्लीन पाउडर की शीशी सुपुर्द कर हमराह लेकर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा. कानि. 638 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से ग्राम जसोल बाडमेर के लिए रवाना हुए। वक्त 11.10 ए.एम.पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री गोलाराम विश्नोई, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 110 के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली तथा श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को फिनोथफ्लीन पाउडर की शीशी के जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवाना शुदा बालोतरा कस्बा से 4 कि.मी. पहले मैन रोड के साईड में एक गली में सुनसान जगह पर पहुचे। जहाँ पर पुर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री आसुराम अपनी निजी मोईसाईकल पर उपस्थित मिला। जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसुराम को अपना परिचय दिया जाकर श्री आसुराम का परिचय प्राप्त कर उसके द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे पूछताछ कर रिपोर्ट मे अंकित तथ्य सही होने की तसल्ली कर हमराह दोनो स्वतंत्र गवाहान का बारी–बारी से आपसी परिचय श्री आसुराम परिवादी से करवाया जाकर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं दोनो गवाहान को पढाई गई जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी श्री आसुराम से पूछताछ कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की तसल्ली कर प्रकरण हाजा मे बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति दी जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजात पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर उसमे दिनांक 17.05.2023 को आरोपी श्री सुशील कुमार सहायक विकास अधिकारी एवं सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत जसोल तथा परिवादी श्री आसुराम के मध्य हुई रुबरु रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालापो के मुख्य–मुख्य अंश डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये। परिवादी श्री आसुराम द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपने साथ लेकर आया हुं। जिस पर वक्त 11.30 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसुराम को रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री आसुराम ने अपने पास से आरोपीगणो को दी जाने वाली रिश्वती राशि 8,000/–रू 500–500 रू. के कुल 16 नोट रूबरू गवाहान के प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा के नोट नंबर एवं सुपुर्दगी मे अंकित किये गये। सभी नोटो पर हमरा श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से उसके पास पूर्व से सुपुर्द की हुई फिनोफथलीन पाउडर की शीशी से परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र शर्मा से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजात एवं उसके

गये ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। जिस पुराने अखबार पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार को रूबरू गवाहान श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से जलवाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नही रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री ओम प्रकाश कनिष्ठ सहायक को निफथलीन पाउडर की शिशि सुपुर्द कर एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर वक्त 12.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी वाहन व निजी वाहन से एवं परिवादी आसुराम व कानि. भीमसिंह 446 को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से बालोतरा कस्बा से कस्बा जसोल की तरफ आगे– पीछे रवाना होकर वक्त 12.20 पी.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी वाहन व निजी वाहन से एवं परिवादी आसुराम व कानि. भीमसिंह 446 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से बालोतरा कस्बा से 4 कि.मी. पहले से रवाना सुदा ग्राम पंचायत जसोल से थोडा पहले माता राणी भटीयाणी मन्दिर के पार्किंग में पहुँचे।

दिनांक 26.05.2023 को वक्त 12.25 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें मेमोरी कार्ड है सुपुर्द कर ग्राम पंचायत जसोल के पास पहुंच कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री आसुराम को सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी के साथ पैदल ही ग्राम पंचायत जसोल के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ग्राम पंचायत जसोल के लिये पैदल–पैदल रवाना होकर वक्त 12.30 पी.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से ग्राम पंचायत जसोल के पास पहुंच अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। वक्त 12.55 पी.एम. पर परिवादी श्री आसुराम बिना ईशारा किये ही मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया गया कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री उदाराम सहायक सचिव ग्राम पंचायत में मिले तथा बालोतरा जाने का बोलकर मुझे एक घण्टे बाद में आने का कहा गया है। जिस पर ग्राम पंचायत जसोल के पास से रवाना होकर वापिस माताराणी भटियाणी पार्किंग जसोल में पहुंच संदिग्ध के कार्यालय में उपस्थित आने के इन्तजार में मुकिम रहे। रिकॉर्ड वार्ता मे लेन–देन से संबंधित वार्ता नही होने से उक्त वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट नही बनाने का निर्णय लिया गया। वक्त 04.25 पी.एम.पर परिवादी श्री आसुराम ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे गोपनिय सूत्र ने बताया कि संदिग्ध श्री उदाराम एवं श्री सुशील कुमार कार्यालय ग्राम पंचायत जसोल में आ गये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर ग्राम पंचायत जसोल के पास पहुंच कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री आसुराम सुपुर्द को करने की हिदायत कर परिवादी के साथ पैदल ही ग्राम पंचायत जसोल के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ग्राम पंचायत जसोल के लिये पैदल–पैदल रवाना होकर वक्त 04.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से ग्राम पंचायत जसोल के पास पहुंच अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकित हुए। वक्त 4.45 पी.एम. पर परिवादी श्री आसुराम बिना ईशारा किये ही मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री उदाराम सहायक ने मुझे कहा कि आप शपथ–पत्र व समस्त दस्तावेज लेकर दो–तीन दिन बाद आवे। जिस पर ग्राम पंचायत जसोल के पास से मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के रवाना हो माताराणी भटियाणी पार्किंग के लिये रवाना हुए। रिकॉर्ड वार्ता मे लेन–देन से संबंधित वार्ता नही होने से उक्त वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट नही बनाने का निर्णय लिया जाकर वक्त 4.50 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के ग्राम पंचायत जसोल के पास से रवानाशुदा माताराणी भटियाणी पार्किंग में पहुंचे।

बरतने की हिदायत कर मन् निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री गोलाराम विश्नोई, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री राम किशोर कानि. 110 के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवांही की पत्रावली के जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम 638 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से ग्राम जसोल से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना होकर वक्त 7.25 पी.एम पर फिकरा उपरोक्त के रवानाशुदा मन् श्रीमति अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री गोलाराम विश्नोई, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओम प्रकाश कानि. 471, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 110 के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली के जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम 638 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से कार्यालय पहुंच स्वतंन्त्र गवाह श्री गोलाराम विश्नोई को पूर्व सुपुर्द की गई रिश्वति राशि सफेद कागज में लपेटी हुई अवस्था में ही श्री गोलाराम विश्नोई स्वतंन्त्र गवाह से कार्यालय की सुरक्षित अलमारी में रखवाई जाकर अलमारी लॉक कर अलमारी की चाबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखी गई एवं परिवादी के बताये अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 30.05.2023 को करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये एवं स्वतंन्त्र गवाहान को आईन्दा दिनांक 30.05.2023 को वक्त 8.30 एएम पर कार्यालय पहुंचने के हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 30.05.2023 को वक्त 8.45 ए.एम पर पूर्व में पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र शर्मा एवं गोलाराम विश्नोई कार्यालय में उपस्थित आये एवं कार्यालय में उपस्थित श्री संजय कानि0 587 को ट्रेप कार्यावाही में अन्य राजकीय वाहन की आवश्यकता होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर का सरकारी वाहन लाने हेतु रवाना किया जो वक्त 10.05 ए.एम पर श्री संजय कानि0 587 श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर का सरकारी वाहन सं0 आरजे 14 यूसी 8790 लेकर हाजिर आया। वक्त 10.30 ए.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अभिरक्षा में रखी गई रिश्वती राशि को श्री गोलाराम विश्नोई स्वतंन्त्र गवाह से कार्यालय की सुरक्षित अलमारी से निकलवाई जाकर सफेद कागज में लिपटी हुई अवस्था में ही सुपुर्द मन् श्रीमति अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री गोलाराम विश्नोई, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओम प्रकाश कानि. 471, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि. 110 के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर में पूर्व में दिनांक 17.05.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता का मैमोरी कार्ड निकालकर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखते हुए उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर मय ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली के जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नं0 आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री संजय कानि0 587 के एसीबी जोधपुर ग्रामीण से ग्राम जसोल बाड़मेर के लिये रवाना होकर वक्तः 12.50 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के कस्बा जसोल स्थित माताराणी भटियाणी मंदिर की पार्किंग में पहुचे जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री आसुराम उपस्थित मिला एवं परिवादी श्री आसुराम ने बताया कि श्री उदाराम सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल द्वारा बताये अनुसार मेरे द्वारा समस्त कागजात पूर्ण कर लिये गये है। जिस पर सदिग्ध आरोपीगण की उपस्थिति के सम्बन्ध में पूछने पर पर परिवादी श्री आसुराम ने बताया कि संदिग्ध अभी ग्राम पंचायत कार्यालय में ही उपस्थित है। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए परिवादी श्री आसुराम की तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र शर्मा से लिवाई जाने पर उसके पास स्वंय के मोबाईल एवं लम्बित कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजात जिसमें स्वंय शपथ–पत्र, पडौसी का शपथ–पत्र, श्री सिदाराम का सहमति पत्र मय आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मोटर साईकिल की चाबी, इकरारनामा इत्यादि, पाये गये जिस पर पेज संख्या 01 से 21 तक अंकित कर प्रथम व अंतिम पेज पर स्वंतत्र गवाहान एवं मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर पुनः परिवादी को सुपर्द किये। इसके अलावा कोई सदिग्ध राशि एवं दस्तावेजात नही पाये गये। तत्पश्चात् स्वतंन्त्र गवाह श्री गोलाराम विश्नोई को पूर्व में सुपर्द की गई रिश्वती राशि सफेद कागज में से श्री गोलाराम

सरकारी वाहनों को पार्किंग में खड़े कर मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ग्राम पंचायत जसोल के लिये पैदल–पैदल रवाना होकर वक्त 1.10 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से ग्राम पंचायत जसोल के पास पहुंच अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। वक्त 1.46 पी.एम पर परिवादी श्री आसुराम पुत्र श्री भीखाराम जाति प्रजापत निवासी नयापुरा जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ने मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को पूर्व मे निर्धरित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 9571672276 से कॉल कर बताया कि श्री उदाराम सहायक सचिव ने मेरे से रिश्वती राशि मांग कर प्राप्त कर अपने पहने हुए शर्ट की जेब मे रखे हैं। जिस पर परिवादी के उक्त कॉल के ईशारे पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत जसोल आस–पास खडे ब्यूरो जाब्ता एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को ईशारे से बुलाकर हमराह लेकर ग्राम पंचायत जसोल के मुख्य गेट पर पहुचे जहां पर परिवादी श्री आसुराम अपने हाथ मे एक पत्रावली लिये हुए उपस्थित मिला व बताया कि ग्राम पंचायत के अन्दर प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ बने कमरे मे श्री उदाराम सहायक सचिव बैठता हैं उस कमरे मे मेरे से अभी–अभी श्री उदाराम ने 8,000/– रुपये प्राप्त कर अपने पहने हुए शर्ट की उपर की सामने की बायी जेब मे रखे हैं। जिस पर परिवादी को भी साथ लेकर ग्राम पंचायत मे प्रवेश कर दाहिनी तरफ बने कमरे मे उपरोक्त हमराहियान के पहुचें। उक्त कमरा मे कोई भी नही मिला जिस पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि श्री उदाराम ने मेरे से इसी कमरे मे 8,000/– रुपये प्राप्त किये थे तथा मै आपको ईशारा करने हेतु ग्राम पंचायत मुख्य गेट पर आया तब तक पीछे श्री उदाराम श्री सुशील कुमार के कार्यालय कक्ष मे चले गये होगें। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पंचायत भवन ग्राम विकास अधिकारी कक्ष मे प्रवेश किया तो एक व्यक्ति चश्मा लगाये हुए कुर्सी पर बैठा मिला जिस पर परिवादी ने उस व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री सुशीलकुमार ग्राम विकास अधिकारी हैं जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसुराम से पूर्व मे दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा, आईन्दा फर्द ट्रान्सिक्रिप्ट तैयार की जावेगी। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम सुशीलकुमार पुत्र श्री मखनलाल जाति जाट उम्र 47 साल पैशा नौकरी निवासी इन्द्रा नगर पुलिस थाना कोतवाली झूझंनू हाल निवासी 3/131 हाउसिंग बोर्ड बालोतरा जिला बाडमेर हाल– सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा प्रतिनियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जसोल जिला बाडमेर होना बताया। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुशील कुमार से श्री उदाराम के बारे मे पूछा तो बताया कि अभी तो यही थे क्या पता कहा चले गये मुझे पता नही हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत जसोल मे बने अन्य कमरो की तलासी ली गई तो श्री सुशील कुमार के कार्यालय कक्ष के अन्दर बने एक अन्य कमरा जिसमे पंचायत का रिकॉर्ड (लाल बस्ते) रखा हुआ हैं जिसमे लगी टेबल कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा मिला। उक्त व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी श्री आसुराम ने बताया कि यही श्री उदाराम हैं साथ ही श्री सुशीलकुमार ने बताया की श्री उदाराम ग्राम पंचायत जसोल मे सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हैं। जो कई वर्षो से कार्यरत हैं तथा इनका वेतन ग्राम पंचायत जसोल की निजी आय से किया जा रहा हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय श्री उदाराम को दिया जाकर उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम जाति प्रजापत उम्र 32 साल निवासी नयापुरा वार्ड नम्बर 15 जसोल पुलिस थाना जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर हाल सहायक सचिव (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत जसोल जिला बाडमेर होना बताया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के श्री उदाराम सहायक सचिव को श्री आसुराम की तरफ ईशारा कर पूछा की ईनको जानते हो जिस पर श्री उदाराम ने बताया कि यह श्री आसुराम हैं जिसने अपने भूखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन कर रखा हैं। तत्पश्चात श्री सुशीलकुमार से भी श्री आसुराम के बारे मे पूछा तो उन्होने भी श्री उदाराम के कथनो के ताईद की। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री उदाराम से पूछा गया कि अभी–अभी आपने श्री आसुराम से किसी प्रकार की राशि प्राप्त की हैं जिस पर रुबरु गवाहान एवं आरोपी श्री सुशीलकुमार के सह आरोपी श्री उदाराम गिडगिडाते हुए कहा कि अभी मैने श्री आसुराम से 8,000/– श्री सुशीलकुमार सहायक विकास अधिकारी के कहेनसार श्री आसराम के भूखण्ड का पटटा जारी करने की एवज मे लेकर अपने पहने हुए

तहत मेरे द्वारा मेरे हिस्से के भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 17.05.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री उदाराम ने मेरे से 8,000/– रुपये की मांग की थी। उसी रोज आपके निर्देशानुसार श्री सुशील कुमार सहायक विकास अधिकारी प्रतिनियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क करने पर श्री सुशील कुमार ने दौराने रिश्वती राशि मांग सत्यापन मेरे को कहा कि श्री उदाराम ने जो राशि बताई हैं वही पैसे लगेगे यदि किसी अन्य व्यक्तियो के कम करेगे तो आपके भी कम कर दिये जायेगें अभी तो आप 8,000/– रुपये दे दो। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुशीलकुमार से पुनः तसल्ली देकर पूछा तो श्री सुशील कुमार ने कोई प्रतिउत्तर नही देते हुए मौन रहे। तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही ग्राम पंचायत जसोल मे ही करने कर निर्णय लिया जाकर हालात उच्च अधिकारियो को निवेदन किये गये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता दोनो मौतबिरान, परिवादी एवं आरोपिगणो के रुबरु अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सरकारी वाहन बोलेरो से ब्यूरो जाब्ता से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर सह आरोपी श्री उदाराम के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में पंचायत भवन मे रखे पानी के कैम्पर मे से बोतल भरवाई जाकर उक्त दोनो कांच की गिलासों में पानी भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने गिलासो के उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार घोल के एक गिलास मे सह आरोपी श्री उदाराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में सह आरोपी श्री उदाराम के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झाईनूमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी झाईनूमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा सह आरोपी श्री उदाराम के पहने हुए शर्ट के उपर की सामने की बायी जेब की तलासी स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र शर्मा से लिवाई गई तो उक्त जेब मे 500–500 रुपये के नोटो का एक बंडल मिला। जिस पर पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकसी निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री गोलाराम विश्नोई को सुपुर्द कर श्री जितेन्द्र शर्मा से उक्त नोटो के नम्बर बोल–बोल कर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से रुबरु दोनो मौतबिरान, परिवादी एवं आरोपी श्री सुशील कुमार सहायक विकास अधिकारी के सह आरोपी श्री उदाराम के पहनने हेतु टी शर्ट की व्यवस्था करवाकर उनके पहने हुए शर्ट को उतरवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे से साफ कांच की गिलास निकाल कर उक्त गिलास मे कैम्पर से पीने का साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डाल कर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल मे सह आरोपी श्री उदाराम के पहने हुए शर्ट की उपर की सामने की बायी जेब को उलटवाकर उक्त घोल मे डूबोवाकर धुलवाया गया तो उक्त घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एस.–1 व एस.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त शर्ट को सुखाया जाकर शर्ट की जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली मे डालकर थैली को शील्ड कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क– "एस" अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त बरामद सुदा भारतीय मुद्रा 8,000 रू. रिश्वती राशि के नोटो कों बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसराम के पास रखी पत्रावली

पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही प्रथक से तैयार कर विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 4.20 पी.एम. पर आरोपी श्री सुशील कुमार सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा के हांउसिंग बोर्ड बालोतरा जसोल स्थित मकान नम्बर 03/131 की खाना तलाशी ली जाना अवाश्यक होने से उक्त मकान की निगरानी हेतु श्री संजय कानि. को मामुर कर थानाधिकारी पुलिस थाना जसोल से जरिये मोबाईल वार्ता कर एक महिला कानि. को उक्त मकान पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 4.30 पी.एम. तक मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवादी श्री आसुराम, दोनों गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया।

दिनांक 30.5.2023 को वक्त 6.30 पी.एम तक आरोपी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मखनलाल जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रा नगर पुलिस थाना कोतवाली झुंझनु हाल 3/131 हांउसिंग बोर्ड बालोतरा जिला बाडमेर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा प्रतिनियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर के कार्यालय कक्ष की रुबरु मौतबिरान व आरोपी के खाना तलासी ली जाने पर संदिग्ध के कार्यालय कक्ष मे सरकारी रिकॉर्ड के अलावा अलमारी मे रखो एक भूरे रंग के बैग मे 500–500 रुपये के नोटो के दो बंडल कुल राशि 1.00 लाख रुपये होना पाई गई। उक्त राशि के संबंध मे आरोपी श्री सुशील कुमार से पूछने पर कोई संतोषजनक जबाब नही देने से उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुए कब्जा एसीबी ली गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। वक्त 6.55 पी.एम तक सह आरोपी श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम जाति प्रजापत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15 नयापुरा जसोल बाडमेर हाल सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल जिला बाडमेर के कार्यालय कक्ष की रुबरु मौतबिरान व आरोपी के खाना तलासी ली जाने पर कार्यालय कक्ष में दिवार में बनी दो लकडी की अलमारी जिसमें ग्राम पंचायत का रिकार्ड रखा हुआ जिसमें से एक अलमारी में एक काले कलर का छोटा बैग पाया गया उक्त बैग की तलाशी लिया जाने पर 2000–2000 रूपये के नोटो के दो बण्डल कुल 107 नोट एवं 200–200 रूपये के 28 नोट होना पाये गये जिसकी गिनती की जाने पर कुल 2,19,600/– रूपये होना पाये गये। उक्त राशि के सम्बध में श्री उदाराम सहायक सचिव से पूछने पर ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर दी गई दुकानों से माह मई 2023 का मासिक किराया एवं अन्य मद में ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि होना बताया जाकर ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा के पुस्तक संख्या 107 प्रस्तुत की गई जिसमें कंम संख्या 10601 से 10634 तक कुल 34 व्यक्तियों से राशि प्राप्त करना पाया गया जिसका कुल योग 90,059/– रूपये होना पाया गया इस प्रकार उक्त राशि कुल प्राप्त राशि से अधिक होने एवं अधिक राशि का किसी प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं होने के कारण आरोपी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं होने पर उक्त राशि को संग्दिध मानते हुए कब्जा ए.सी.बी. लिये गये। आरोपी श्री उदाराम द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त रसीद बुक संख्या 107 की कार्यालय प्रति कमांक 10601 एवं अंतिम रसीद संख्या 10634 कार्यालय प्रति पर आरोपी श्री सुशील कुमार सहायक विकास अधिकारी व सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं मन निरीक्षक ने अपने हस्ताक्षर कर कब्जा ए.सी.बी. ली गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। वक्त 7.00 पी.एम. तक सह आरोपी श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम जाति प्रजापत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15 नयापुरा जसोल बाडमेर हाल सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल जिला बाडमेर से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी द्वारा परिवादी श्री आसुराम के प्लाट का पट्टा जारी करने की एवज में 8,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करना वक्त सत्यापन आरोपी श्री सुशील कुमार व सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव द्वारा परिवादी से 8,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करना एवं तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव द्वारा 8,000/– रूपये परिवादी से प्राप्त कर अपने पहने हुए शर्ट की जेब में रखना, जो रिश्वति राशि सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव के पहने हुए शर्ट की जेब में से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादस का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः सह आरोपी श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम जाति प्रजापत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15 नयापुरा जसोल बाडमेर हाल सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल जिला बाडमेर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। वक्त

8,000/– रूपये परिवादी से प्राप्त कर अपने पहने हुए शर्ट की जेब में रखना, जो रिश्वति राशि सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव के पहने हुए शर्ट की जेब में से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादस का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मखनलाल जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रा नगर पुलिस थाना कोतवाली झुंझनु हाल 3/131 हांउसिंग बोर्ड बालोतरा जिला बाडमेर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा प्रतिनियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 30.05.2023 को वक्त 7.45 पी.एम. पर सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव के हाथो व पहने हुए शर्ट से लिये गये धोवन की शिल्ड सुदा शिशियां जब्त सुदा रिश्वति राशि, संग्दिध राशि आदि मुताबिक फर्दात एवं ट्रेप बाक्स तथा गिरफतार सुदा आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव को श्री रामकिशोर कानि0 न0 110 के सुर्पद कर मन निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता एवं गिरफतार सुदा आरोपी श्री सुशील कुमार को हमरा लेकर आरोपी श्री सुशील कुमार के रहवासिय मकान 3/131 हाउसिंग बोर्ड बालोतरा के लिए जरिये सरकारी वाहन टवेरा से रवाना हुए। वक्त 9.50 पी.एम. तक दर्ज रहे कि फिगरा उपरोक्त के रवाना सुदा 7.55 पीएम पर आरोपी श्री सुशील कुमार सहायक विकास अधिकारी के रहवासिय मकान 3/131 हाउसिंग बोर्ड बालोतरा पर पहुँच आरोपी के मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर वक्त 9.40 पीएम पर जरिये सरकारी वाहन टवेरा से रवाना हो कार्यालय ग्राम पंचायत जसोल पहुँच सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव के हाथो एवं पहने हुए शर्ट से लिये गये धोवन की शिल्ड सुदा शिशियां जब्त सुदा रिश्वति राशि, संग्दिध राशि आदि मुताबिक फर्दात एवं ट्रेप बाक्स तथा गिरफतार सुदा आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 30.05.2023 को वक्त 10.15 पीएम तक कार्यालय ग्राम पंचायत जसोल का सम्बधित रिकार्ड सुपर्द करने हेतु श्री महेशसिंह विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा से जरिये मांबाईल नम्बर 9929678625 पर सम्पर्क करने की कोशिश की गई परन्तु श्री महेशसिंह विकास अधिकारी का मोबाईल स्वीच ऑफ होने से सम्पर्क नहीं हो सका तत्पश्चात श्री नारायणसिंह अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोंतरा से जरिये मोबाईल नम्बर 9587614419.पर सम्पर्क करने पर कई बार मन निरीक्षक पुलिस से बातचीत होने के उपरान्त भी श्री नारायणसिंह कार्यालय ग्राम पंचायत जसोल में उपस्थित नही हुए। इसके बाद श्री ईश्वरसिंह सरपंच ग्राम पंचायत जसोल से जरिये मोबाईल सम्पर्क करने की कोशिश की तो मोबाईल स्वीच ऑफ होने से सम्पर्क नहीं हो सका। तत्पशचात आरोपी श्री सुशील कुमार सहायक विकास अधिकारी ने बताया कि मेरे अलावा श्री मंगलेश बारसा विधालय सहायक कार्यरत है जिस पर श्री मंगलेश बारसा से जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर श्री मंगलेश बारसा ने स्वंय के परिवार में मृत्यु होने के कारण मुख्यालय से बाहर होना बताते हुए ग्राम पंचायत जसोल में उपस्थित होने असमर्थता जाहिर की। तत्पश्चात ग्राम पंचायत जसोल का रिकार्ड एवं कार्यालय की चाबियां राज्य कर्मचारी को यथा स्थिति सुपर्द किया जाना आवश्यक होने के कारण श्री विवेक व्यास उपखण्ड अधिकारी बालोतरा से उनके मोबाईल नम्बर 9983877400 पर कई बार बातचीत की जाने के उपरान्त भी कोई कर्मचारी ग्राम पंचायत जसोल के कार्यालय में उपस्थित नही होने से ग्राम पंचायत में उपस्थित श्री दिनेश कुमार गौड पुत्र श्री मांगीलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी वार्ड नम्बर 02 अमरपुरा जसोल हाल कम्प्युटर ऑपरेटर ग्राम पंचायत जसोल को ग्राम पंचायत जसोल का समस्त रिकार्ड यथास्थिति सुपर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई एवं श्री दिनेश कुमार गौड व श्री मंगलेश बारासा विधालय सहायक ग्राम पंचायत जसोल को आरोपीगणो की आवाज पहचान बाबत कल दिनांक 31.05..2023 को वक्त 8.00 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने बाबत निर्देशित किया गया। वक्त 10.30 पी.एम. तक परिवादी श्री आसुराम द्वारा ग्राम पंचायत जसोल मे अपने भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रकरण मे आवश्यक होने एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा, अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा से कई बार जरिये मोबाईल वार्ता कर ग्राम पंचायत जसोल पर उपस्थित आने बाबत निर्देशित करने के उपरान्त भी कोई भी सक्षम अधिकारी ग्राम पंचायत मे उपस्थित नही आने के कारण परिवादी की भूल पत्रावली परिवादी से प्राप्त कर

एवं सरकारी वाहन टवेरा नं0 आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री संजय कानि0 587 व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मखनलाल जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रा नगर पुलिस थाना कोतवाली झुंझनु हाल 3/131 हांउसिंग बोर्ड बालोतरा जिला बाडमेर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा प्रतिनियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर एवं आरोपी श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम जाति प्रजापत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15 नयापुरा जसोल बाडमेर हाल सहायक सचिव ग्राम (प्राईवेट व्यक्ति) पंचायत जसोल जिला बाडमेर मय बरामदा रिश्वति राशि एवं जब्त शील्ड सुदा वजह सबूत, रिश्वती राशि, दोनो आरोपीण के कब्जे से पाई गई संदिग्ध राशि मुताबिक फर्दात के हमराह लेकर एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुए। परिवादी श्री आसुराम को कल दिनांक 31.05.2023 को प्रातः 08.00 बजे एसीबी कार्यालय जोधपुर में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 31.05.2023 को वक्त 2.00 ए.एम. तक उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी पहुॅच आरोपी श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी व श्री उदाराम सहायक सचिव को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर को सुपुर्द करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर कार्यालय पहुॅच जब्त शुदा रिश्वती राशि, सह आरोपी श्री उदाराम के दोनों हाथों के धोवन के प्रादर्श आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, सह आरोपी श्री उदाराम के पहने हुए शर्ट की जेब जहां से लिया गया धोवन मार्क एस–1, एस–2 सील्डशुदा शिशियां, सह आरोपी श्री उदाराम के शर्ट का पैकेट मार्क –एस, आरोपी श्री सुशील कुमार सहायक विकास अधिकारी के कब्जा से जब्त संदिग्ध राशि 1.00 लाख रुपये, सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव के कब्जे से बरामद संदिग्ध राशि 2,19,600/– रुपये आदि माफिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान प्रातः 08.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत दी गई। वक्त 08.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र शर्मा एवं श्री गोलाराम विश्नोई तथा परिवादी श्री आसुराम कार्यालय एसीबी जोधपुर ग्रामीण पर. उपस्थित आये। वक्त 8.20 एएम तक परिवादी श्री आसुराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवहान श्री जितेन्द्र शर्मा एवं श्री गोलाराम विश्नोई की उपस्थिति में परिवादी श्री आसुराम एवं आरोपी श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 17.05.2023 जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाई गई थी। उक्त मैमोरी कार्ड सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में वर्तमान मे वक्त लेन–देन रिश्वती राशि वार्ता दिनांक 30.05.2023 के मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालक मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा जाकर दिनांक 17.05.2023 को हुई रिश्वती राशि माग सत्यापन वार्तालापो के मैमोरी कोर्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे डालकर कार्यालय के कम्प्युटर से जोडकर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओ की कार्यालय के कम्प्यूटर मे कॉपी कर दो सीडीया तैयार कर एक सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापो को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरु की गई। वक्त 10..20 एएम तक परिवादी श्री आसुराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री जितेन्द्र शर्मा एवं श्री गोलाराम विश्नोई की उपस्थिति में परिवादी श्री आसुराम एवं आरोपी श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 17.05.2023 को कार्यालय के कम्प्यूटर मे पूर्व में तैयार की गई सीडी से रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 10..25 एएम तक परिवादी श्री आसुराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री जितेन्द्र शर्मा एवं श्री गोलाराम विश्नोई की उपस्थिति में कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे दिनांक 17.05.2023 को दोनो आरोपीगणो एवं परिवादी श्री आसुराम के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालापो का रिकॉर्ड सुदा मैमोरी कार्ड डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखते हुए परिवादी श्री आसुराम एवं सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप दिनांक 30.05.2023 जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जो मन निरीक्षक

कुडी भगतासनी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रात कर कार्यालय हाजा पर लाने हेतु रवाना किया जो वक्त 11.30 एएम पर आरोपी श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी व सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल को पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नरेट जोधुपर से प्राप्त कर राजकीय चिकित्सालय कुडी भगतासनी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रात कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 11..40 एएम तक परिवादी श्री आसुराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री जितेन्द्र शर्मा एवं श्री गोलाराम विश्नोई की उपस्थिति में परिवादी श्री आसुराम एवं सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव के मध्य रुबरु हुई वक्त लेन–देन वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप जो मेमौरी कार्ड में रिकार्ड थी उक्त मेमौरी कार्ड को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओ की कार्यालय के कम्प्यूटर मे कॉपी कर दो सीडीया तैयार की गई थी। जिसमे से एक सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये।

दिनांक 31.05.2023 को वक्त 12.45 पी एम तक पूर्व से पाबन्द शुदा श्री दिनेश कुमार कम्प्युटर ऑपरेटर एवं श्री मंगलेश बारसा विधालय सहायक ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा के उपस्थित नहीं आने के कारण फर्द आवाज पहचानकर्ता पृथक से तैयार नहीं की जा सकी।

दिनांक 31.05.2023 को वक्त 12.50 पी.एम. तक परिवादी श्री आसुराम व आरोपी श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी व सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल के मध्य दि. 17.05.2023 को रिश्वती राशि वक्त सत्यापन एवं दिनांक 30.05.2023 को परिवादी श्री आसुराम एवं सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव के मध्य वक्त लेन–देन हुई रूबरू वार्ता की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से पूर्व में रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्ताओं की अलग–अलग दो–दो सीडीया तैयार की गई थी। दोनो मूल मैमोरी कार्ड को अलग–अलग कपडे की थैलियो मे डालकर सिलाई कर, सील चस्पा कर थैलियो पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो–दो डब सीडी को खुला ही रहने दिया गया। दोनो मूल मैमोरी कार्ड के शील्ड सुदा पैकेट एवं चार खुली डब सीडी को कार्यालय हाजा के हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को बाद कार्यवाही के इजाजत वापसी दी गई।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मखनलाल जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रा नगर पुलिस थाना कोतवाली झुंझनु हाल 3/131 हांउसिंग बोर्ड बालोतरा बाडमेर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा प्रतिनियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर एवं सह आरोपी श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम जाति प्रजापत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15 नयापुरा जसोल बाडमेर हाल सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर द्वारा परिवादी श्री आसुराम से आरोपीगणो द्वारा परिवादी के प्लाट का पट्टा जारी करने की एवज में 8,000/– रूपये रिश्वति राशि प्राप्त करने हेतु सहमत होकर वक्त ट्रेप कार्यवाही 8,000/– रूपये रिश्वती राशि सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा प्राप्त करना जो सह आरोपी श्री उदाराम सहायक सचिव (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा अपने पहने हुए शर्ट की उपर की जेब में रखे जहां से रूबरू गवाहान के रिश्वती राशि बरामद होना पाया गया है।

प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोपी का नाम का सुशील कुमार ग्राम सेवक अंकित किया गया है परन्तु ट्रेप कार्यवाही के दौरान विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा के पत्रांक 75 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा प्राप्त सेवा विवरण अनुसार आरोपी श्री सुशील कुमार सहायक विकास अधिकारी पंचायत

सह आरोपी श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम जाति प्रजापत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15 नयापुरा जसोल बाडमेर हाल सहायक सचिव (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में झाईनुमा हल्का गुलाबी रंग, सह आरोपी के बॉये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में हल्का गुलाबी रंग आना, 8,000/– रूपये रिश्वति राशि सह आरोपी के पहने हुए शर्ट की उपर की जेब में रखे हुए जहां से रिश्वति राशि बरामद होना उक्त शर्ट की उपर की जेब का लिया गया धोवन हल्का गुलाबी पाया गया। इस तरह आरोपी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मखनलाल जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रा नगर पुलिस थाना कोतवाली झुंझनु हाल 3/131 हांउसिंग बोर्ड बालोतरा बाडमेर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर एवं सह आरोपी श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम जाति प्रजापत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15 नयापुरा जसोल बाडमेर हाल सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई–मेल प्रेषित की जा रही है।

(अनु चौधरी)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सुशील कुमार, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालोतरा, कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जसोल, पंचायत समिति बालोतरा, जिला बाडमेर एवं 2. श्री उदाराम पुत्र श्री कमाराम निवासी नयापुरा वार्ड नम्बर 15 जसोल, पुलिस थाना जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर हाल सहायक सचिव (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत जसोल जिला बाडमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 135/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31/5/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1027-30 दिनांक 31.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

31/5/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।